

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-512/2012संस्थित दिनांक-13.07.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र गोहद

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

अमरसिंह पुत्र देवीसिंह गुर्जर उम्र 60 साल

निवासी ग्राम बडेरा थाना गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0 .....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 22.03.18 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 341, 294, 323, 324, 506 बी के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 19.04.12 को 7:30 बजे, ग्राम कुबेरसिंह के घर के सामने आम रोड सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कैलाश को एक निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया, फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया, उपहति कारित करने के आशय से फरियादी कैलाश की मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की, फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से नोकदार हथियार बल्लम से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 19.04.12 को शाम करीब 7:30 बजे फरियादी कैलाश दूध लेकर आ रहा था। इतने में कुबेरसिंह के दरवाजे के सामने अभियुक्त अमरसिंह मिला और फरियादी का रास्ता रोककर उसे माँ बहन की अश्लील गालियां देने लगा। फरियादी ने मना किया तो उसने बल्लम मारी जो दाहिनी कांख के नीचे और दुबारा से दाहिने हाथ के बाजू पर लगी, खून निकल आया। अभियुक्त जान से मारने की धमकी देकर चला गया। घटना ठकुरी बघेल और अजीत परिहार ने देखी। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0 94/12 पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0स0 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 19.04.12 को 7:30 बजे, ग्राम कुबेरसिंह के घर के सामने आम रोड सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कैलाश को एक निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभकारित किया ?
3. क्या उक्त दिनांक व समय पर फरियादी कैलाश को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति क्या थी ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उपहति कारित करने के आशय से फरियादी कैलाश की मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की ?
5. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से नोकदार हथियार बल्लम से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
6. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**-:: सकारण निष्कर्ष ::-**

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में कैलाश अ0सा0 1, रमेश अ0सा0 2, रामनिवास सिंह अ0सा0 3, अजीतसिंह अ0सा0 04, ठकुरी अ0सा0 05, डा0 आर0 विमलेश अ0सा0 06 को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में साक्षी बबलू शर्मा ब0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है।

**// विचारणीय प्रश्न क्रमांक1 का सकारण निष्कर्ष //**

6. फरियादी कैलाश अ0सा0 1 घटना साक्ष्य दिनांक 20.06.16 से तीन साडे तीन साल पहले शाम करीब 7 बजे की होना बताते हैं। यह कथन करता हैं कि वह दूध लेकर गांव से आ रहा था, कुशवाह के मौहल्ले पर कुबेरसिंह के घर के पास पहुंचा तो वहां अभियुक्त आकर उसे मां बहन की गंदी गाली गलौंच करने लगा। इसके पश्चात् मारपीट करने तथा धमकी दिए जाने का कथन करता है। अपने अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं करता कि वह किस दिशा की ओर जा रहा था और अभियुक्त ने उसे उक्त दिशा में जाने से साशय निवारित कर दिया हो। मात्र रास्ते में मिलने पर गाली गलौंच करने का कथन किया है जो कि सदोष अवरोध की श्रेणी में नहीं आता है। कैलाश के अनुसार जब वह चिल्लाया तो ठकुरी, रमेश और अजीत परिहार मौके पर आ गए। साक्षी प्रतिपरीक्षण

की कण्डिका 2 में कथन करता है कि जब उसे बल्लम लगी और चिल्लाया तब रामवती नाम की महिला ने झगडा देख गयी जिसने उक्त लोगों को बताया था। अजीत अ0सा0 4 अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करता है, जबकि रमेश अ0सा0 2 एवं ठकुरी अ0सा0 5 दोनों ही अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा फरियादी को उसकी वांछित दिशा में जाने से साशय निवारित करने का कोई कथन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 341 का अपराध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

### //विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का सकारण निष्कर्ष//

7. फरियादी कैलाश अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि जब वे कुबेरसिंह के घर के पास पहुंचे तो अभियुक्त आकर उसे मां बहन की गाली गलौंच कर रहा था, गाली देने से मना करने पर मारपीट किए जाने का कथन करता है। साक्षी मां बहन की गाली देना अवश्य बताता है किन्तु कौनसी गाली दी गयी तथा उसे अभिकथित गाली सुनकर कोई क्षोभकारित हुआ हो, इस संबंध में कथन नहीं किया गया है। रमेश अ0सा0 2 एवं ठकुरी अ0सा0 5 भी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त द्वारा किसी अश्लील शब्द या गाली के उच्चारण का कथन नहीं करते, न ही कथित गाली सुनकर क्षोभकारित होने का कोई कथन करते हैं। प्र0पी0 1 की रिपोर्ट फरियादी ने करना बताई है, उसमें भी कथित गालियां सुनकर क्षोभकारित होने का कोई तथ्य लेख नहीं हैं। ऐसी दशा में संहिता की धारा 294 के आरोप के अधीन आपराधिक दायित्व को प्रमाणित किए जाने हेतु सारवान साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। अतः उक्त आरोप भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

### //विचारणीय प्रश्न कमांक 6 का सकारण निष्कर्ष//

8. फरियादी कैलाश अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि अभियुक्त ने उसकी मारपीट की और जब वह चिल्लाया तो ठकुरी, रमेश व अजीत मौके पर आ गए तब अभियुक्त गाली देकर बोला कि आज तो बच गए, अबकी बार नहीं बचोगे और मौके से भाग गया। रमेश अ0सा0 2 तथा ठकुरी अ0सा0 5 भी उक्त कथन की संपुष्टि करते हैं। उक्त साक्षीगण में से कोई भी कथित धमकी से संत्रास अथवा भय कारित होने के संबंध में कोई कथन नहीं करते हैं। संहिता की धारा 506 भाग दो के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु यह तथ्य प्रमाणित होना आवश्यक है कि अभियुक्त के द्वारा दी गयी धमकी से भय अथवा संत्रास कारित होने के संबंध में सारवान साक्ष्य मौजूद हो। उक्त भय अथवा संत्रास का तथ्य साक्षी के अभिसाक्ष्य एवं आचरण से परिलक्षित होता है। किसी साक्षी ने कथित धमकी से भय अथवा संत्रास कारित होने का कथन नहीं किया। जहां तक आचरण का प्रश्न है तो कथित घटना शाम के 7:30 बजे की बताई गयी है और घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में प्राथमिकी के अनुसार रात्रि 9:30 बजे लेख की गयी है। घटनास्थल से आरक्षी केन्द्र की दूरी करीब 20 किमी0 है। उक्त रिपोर्ट में दो घण्टे के समय का अंतर है जिसका कारण फरियादी द्वारा भय

अथवा संत्रास कारित होने का नहीं दर्शाया गया है, न ही इस संबंध में साक्षी के आचरण तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं। ऐसी दशा में संहिता की धारा 506 भाग दो का आरोप अभियुक्त के विरुद्ध प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

**॥ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 का सकारण निष्कर्ष ॥**

9. फरियादी कैलाश अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि अभियुक्त द्वारा गाली दिए जाने पर उन्होंने मना किया तो अभियुक्त अमरसिंह ने बल्लम मारी जो उसको कमशः दाहिनी कांख के नीचे व दुबारा दाहिने हाथ के बाजू में लगी और खून निकल आया। साक्षी उक्त चोटों के संबंध में प्र०पी० 1 की प्राथमिकी लिखाए जाने जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अपनी चिकित्सा होने का भी कथन करते हैं। रमेश अ०सा० 2 फरियादी का भाई है, जो चिल्लाने पर कुबेरसिंह के दरवाजे पर पहुंचे तो अमरसिंह ने उसके भाई को बल्लम मार दी। साक्षी फरियादी कैलाश को दाहिनी भुजा एवं दाहिनी कांख के नीचे चोट आने और खून निकलने का समर्थन करते हैं। ठकुरी अ०सा० 5 भी अपने अभिसाक्ष्य में कैलाश को दाहिनी कांख के नीचे बल्लम की चोट आने का कथन करते हैं। प्रतिपरीक्षण में दो जगह और चोटें होना बताते हैं। रामनिवास अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 19.04.12 को फरियादी कैलाश द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाए जाने से अपराध प्र०पी० 1 पंजीबद्ध किए जाने जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। आहत को मेडीकल परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद मुलाहिजा फार्म प्रपी० 3 भरकर भेजे जाने जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

10. डा० आर० विमलेश अ०सा० 6 यह कथन करते हैं कि दिनांक 19.04.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल आफीसर के रूप में पदस्थ थे। उक्त दिनांक को आहत कैलाश का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उन्होंने कैलाश को निम्न चोटें पाई थी—

- 1—छेदनुमा घाव छाती के उपरी हिस्से में बाहर की ओर जिसका आकार 1 गुणा 1 सेमी० गुणा 1.2 सेमी० का था।
- 2—पंचर घाव दाहिनी भुजा के उपरी हिस्से में भीतर की ओर जिसका आकार 1 गुणा 1 गुणा 1 सेमी० था।
- 3—फटा घाव 1.2 सेमी० गुणा 1 सेमी० गुणा चमड़ी तक गहरा दांयी भुजा के उपरी हिस्से पर था।
- 4—फटा हुआ घाव 1.3 सेमी० गुणा 1 सेमी० गुणा चमड़ी तक गहरा बाएं बाजू के उपरी हिस्से में था।
- 5—खरोंच आकार 1.2 सेमी० गुणा 1.4 सेमी० छोटी उंगली के उपरी हिस्से में था।



आहत की चोट क्र० 1 व 2 नुकीली वस्तु से चुभने के कारण आना प्रतीत होने व शेष चोटें सख्त व भौथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी। चोट क्र० 1 लगायत 5 की प्रकृति जानने के लिए एक्सरे की सलाह दी थी। समस्त चोटें 12 घण्टे के भीतर की थी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 3 बताकर उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं।

11. डा० आर० विमलेश के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर धारा 114 ड के अधीन अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार न होने से विश्वसनीय होना पाईजाती है। इसके अतिरिक्त स्वयं अभियुक्त की ओर से चिकित्सक को आहत की आई चोटें क्र० 1 व 2 स्वतः कारित होने और शेष चोटें गिर जाने से आना संभव होने का सुझाव दिया है। इस प्रकार से स्वयं ही आहत को घटना दिनांक व सुसंगत समय पर शरीर पर चोटें होने के तथ्य को स्वीकार किया है। फरियादी कैलाश को प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में दूध की मोटरसाईकिल ले जाते समय गिर जाने से चोटें कारित होने का सुझाव दिया है। यद्यपि साक्षी ने उक्त सुझाव को अस्वीकार किया है। बबलू शर्मा ब०सा० 1 के रूप में प्रस्तुत किया जो कि फरियादी के दूध की टंकी ले जाते में मोटरसाईकिल से गिरने के कारण चोट आने का कथन करते हैं, किन्तु प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने अभियुक्त को मोटरसाईकिल से गिरते नहीं देखा, बल्कि गांव में चर्चा हो रही थी इसलिए बता रहा है। इस प्रकार से कथित दुर्घटना में चोटें कारित होने के तथ्य को अभियुक्त की ओर से सुदृढ़ साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया है, जबकि अभियोजन की ओर से फरियादी कैलाश को घटना दिनांक को सुसंगत समय पर चोटें कारित होने का तथ्य रमेश अ०सा० 2, ठकुरी अ०सा० 5, रामनिवास अ०सा० 3 एवं डा० आर विमलेश अ०सा० 4 की मौखिक साक्ष्य तथा प्र०पी० 1 व 3 के दस्तावेजों के माध्यम से प्रमाणित की है। अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 19.04.12 को सांय करीब 7:30 बजे फरियादी कैलाश के शरीर पर चोटें मौजूद थी। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या फरियादी को चोटें अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा कारित की गयी।

#### //विचारणीय प्रश्न क्रमांक 4 व 5 का सकारण निष्कर्ष//

12. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थिति में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। फरियादी कैलाश अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि जब वे कुबेरसिंह के घर के पास पहुंचे तो वहां अभियुक्त गाली गलौंच करने लगा, मना करने पर बल्लम मारी जो उसके शरीर पर लगी। इस प्रकार से साक्षी उसे अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित किए जाने का कथन करते हैं। रमेश अ०सा० 2 व ठकुरी अ०सा० 5 अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी के कथनों का समर्थन करते हैं। अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा मामले का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी रमेश फरियादी कैलाश का सगा भाई है, जबकि ठकुरी चचेरा भाई है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि

फरियादी कैलाश का घर घटनास्थल से पास ही है। घटनास्थल से आगे जाकर दाहिनी ओर मुड़ने पर फरियादी अपना घर दूसरी गली में बताया है ऐसी दशा में फरियादी के भाई रमेश व चचेरे भाई ठकुरी के घटनास्थल पर पहुंच जाने का तथ्य स्वाभाविक साक्ष्य की श्रेणी में आता है। जहां तक साक्षियों के कथनों में विरोधाभास का प्रश्न है तो ऐसा कोई सारवान तथ्य प्रकट नहीं हुआ कि वे अभियुक्त के विरुद्ध किस कारण से कथन कर रहे हैं।

13. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि फरियादी कैलाश व उसका भाई रमेश अ0सा0 2 भैंसों की चोरी का धंधा करते हैं और अभियुक्त ने उनकी चोरी पकड़वाई इस कारण से रंजिश रखते हैं। इस संबंध में बबलू अ0सा0 1 को भी परीक्षित कराया गया है जो प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि अमरसिंह ने गांव की पंचायत में पाली की भैंसों की चोरी की बात सबको बता दी थी और कहा था कि फरियादी के विरुद्ध रिपोर्ट डालो इस बात से अभियुक्त रंजिश मानने लगा। साक्षी प्रतिपरीक्षण में यह बताने में अस्मर्थ है कि कथित पंचायत कब हुई। साक्षी स्वीकार करता है कि उसने अभियुक्त को कभी चोरी करते नहीं देखा, बल्कि पंचायत के बताने के आधार पर कथन कर रहा है। साक्षी यह भी कथन करते हैं कि अभियुक्त ने फरियादी द्वारा झूठा फंसाए जाने के संबंध में कभी भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी को आवेदन नहीं दिया, स्वतः कथन करता है कि मौखिक बताया था। किन्तु मौखिक बताए जाने के संबंध में जन सुनवाई या वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गयी हो, इस संबंध में भी इंकार करता है। अभियुक्त के घटना दिनांक 19.04.12 को दिन के 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक अपने साथ भूसा ढोने के संबंध में कथन करते हैं। घटना की तारीख साक्षी बताते हैं किन्तु प्रतिपरीक्षण में पिछले वर्ष के कोई भी त्यौहार, अपने भाई बहन के जन्म दिन आदि बताने में अस्मर्थ हैं। अन्यत्र उपस्थिति के संबंध में कथन अवश्य किया है किन्तु अन्यत्र उपस्थिति के तथ्य को प्रमाणित किए जाने हेतु सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। साक्षी बबलू ब0सा0 1 का कथन सुनी सुनाई बातों पर अधिक आधारित है, ऐसे में विश्वसनीय नहीं हैं।

14. अभियुक्त के द्वारा फरियादी कैलाश ने उपहति कारित करने का कारण कैलाश अ0सा0 1 बताने में अस्मर्थ हैं, जबकि रमेश अ0सा0 2 एवं ठकुरी अ0सा0 5 बच्चों के झगड़े के विवाद के कारण अभियुक्त द्वारा मारपीट करने का कथन करते हैं। कथित बच्चों के झगड़े के संबंध में अभियुक्त की ओर से कोई सारवान तथ्य दर्शाए नहीं गए हैं। जो विरोधाभास साक्षी के प्रतिपरीक्षण में दर्शाने का प्रयास किया गया है वे गंभीर न होते हुए सूक्ष्म प्रकृति के हैं। फरियादी के अभियुक्त के विरुद्ध कथन किए जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। आहत साक्षी की साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि -

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया—

“21. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 : (AIR 2011 SC (Cri) 964 : 2010 AIR SCW 5701); Kailas and Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793 : (AIR 2011 SC 598); Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676 : (AIR 2011 SC 795 : 2011 AIR SCW 856); and State of U.P. v. Naresh and Ors., (2011) 4 SCC 324 : (AIR 2011 SC (Cri) 761 : 2011 AIR SCW 1877)).  
**Resently Followed in :- Narender Singh and others v. State of Madhya Pradesh 2015(11) SCALE 557 : JT 2015 (9) SC 435”**

15. जहां तक फरियादी के कथन में विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया है तो उसके कथन में कथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। न्यायदृष्टांत योगेशसिंह विरुद्ध महावीरसिंह व अन्य एआईआर 2016 एस०सी०-5160 : जे०टी० 2016 (10) एस०सी० 332 : 2016 (4) सीसीएससी 1876 की कण्डिका 29 में मान० सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि “विधि में सुस्थापित है कि कुछ असंगतताओं को महत्व प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य पर विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि साक्ष्य असाधारण है और प्रज्ञा के परीक्षण के द्वारा

स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह अभियोजन कथन में कमी सृजित कर सकता है। यदि कोई लोप या असंगतता मामले की तह तक जाती है और विषमताओं को प्रविष्ट करती है, तो प्रतिरक्षा ऐसी असंगतियों का लाभ ग्रहण कर सकता है। यह अभिकथित करने के लिए किसी विशेष प्रबलता की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक लोप तात्विक लोप का स्थान नहीं ले सकता इसलिए कुछ असंगतियां, विषमताएं या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते और अभियोजन साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए आधार रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लोप को साक्षी की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता के बारे में गंभीर संदेह सृजित करना चाहिए। केवल गंभीर पारस्परिक विरोध और लोप ही, तात्विक रूप से अभियोजन के मामले को प्रभावित करते हैं किन्तु प्रत्येक परस्पर विरोध या लोप नहीं।" इस मामले में फरियादी कैलाश अ0सा0 1 की साक्ष्य पर न्यायालय के समक्ष अविश्वास हेतु युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं हैं।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.04.12 को 7:30 बजे, ग्राम कुबेरसिंह के घर के सामने आम रोड सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कैलाश को उपहति कारित करने के आशय से फरियादी कैलाश की मारपीट कर स्वेच्छा साधारण उपहति कारित की तथा नोकदार हथियार बल्लम से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 323, 324 के अधीन **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त संहिता की धारा 294, 341, 506 भाग दो के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

17. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।

18. अभियुक्त के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

#### पुनश्च:

19. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण मजदूर कृषक होने एवं प्रकरण के पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।



20. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उसकी परिपक्व आयु एवं फरियादी को स्वेच्छा मारपीट एवं नोकदार हथियार से मारपीट कर उपहति कारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि आहत की चोटें अत्यंत गंभीर प्रकृति की न होकर सतही प्रकृति की है। वह तथा अभियुक्त एक ही गांव के हैं। ऐसे में अभियुक्तगण को कठोरतम दण्ड से दण्डित किए जाने का आधार न पाते हुए उन्हें कठोरतम दण्ड से दण्डित न करना उचित पाया जाता है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 323, 324 के अधीन दोषसिद्धि एक ही घटना एवं अपराध के क्रम में हुई है, ऐसे में संहिता की धारा 71 के प्रकाश में दीर्घ अवधि की सजा के अंतर्गत दण्डित किया जाना उचित है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 324 के अधीन उपरोक्त समस्त परिस्थितियों पर विचार उपरांत **अधीन 6 माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक-एक माह का अतिरित कारावास भुगताया जावे।

21. अभियुक्त से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत कैलाश पुत्र गनपत बघेल निवासी ग्राम बडेरा थाना गोहद को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्तर की धारा 357-1 ख के अधीन 500/-रुपये (पांच सौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।

22. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

23. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।

24. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दफ़्तरसं० का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य  
(शासकीय / विधिक उपकरण)